पेसा अधिनियम के 25 वर्ष: 1996-एक अवलोकन

डॉ. जी. नागेन्द्र कुमार, आईएएस

महानिदेशक, एन.आई.आर.डी.पी.आर

रूपरेखा

- पेसा अधिनियम - 1996
- पेसा अधिनियम - 1996 में महत्वूपर्ण प्रावधान
- ग्राम सभा - पेसा में एक महत्वूपर्ण पहलु
- केंदीय अधिनियम का उल्लंघन : राज्यों में कोई एकरूपता नहीं
- पेसा के कार्यान्वयन में चुनौतियां
- अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपालों की शक्तियां (पेसा से संबंधित)
- अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपाल और पेसा
- भावी कार्रवाई

पेसा अधिनियम - 1996 :
एकमात्र विधान, जिसे 'संविधान में विधान' के रुप में वर्णित किया गया है

- पेसा पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए लागू है; पेसा की शक्तियां पंचायतों की सामान्य शक्तियों के अतिरिक्त हैं।
- पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों वाले 10 राज्यों को अपने राज्य पेसा अधिनियम पारित करने थे या अपने मौजूदा पंचायती राज अधिनियमों में संशोधन करने थे।
- पेसा का सबसे महत्वूपर्ण पहलू यह है कि इसमें जनजातीय पंचायतों की स्व-शासन की क्षमता को परंपरागत संदर्भ में पहचाना गया है।
- पेसा अधिनियम में वन भूमि और पानी जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर जनजातीय परंपरागत अधिकारों को स्वीकार किया गया है।

पेसा अधिनियम -1996 में महत्वपूर्ण प्रावधान

पेसा अधिनियम की धारा 4(ड) में यह कहा गया है कि स्व-शासन के एक संस्थान के रुप में कार्य करने के लिए, एक विधान यह सुनिश्चित करेगा कि उचित स्तर पर पंचायत/ ग्राम सभा को विशेष रुप से निम्नलिखित शक्तियां प्रदान की गई हैं :

(क) किसी मादक पदार्थ की बिक्री और खपत के संबंध में निषेध लागू करने या नियंत्रित करने की शक्ति;

(ख) लघु वन उपज का स्वामित्व;

(ग) अनुसचित क्षेत्रों में भूमि के हस्तांतरण पर रोक औरकिसी अनुसूचित जनजाति की भूमि के किसी गैर-कानूनी हस्तांतरण की बहाली के लिए उचित कार्रवाई करना;

(घ) ग्राम बाजारों का प्रबंधन;

(ङ) अनुसूचित जनजाति को धन की उधारियों को नियंत्रित; और

(च) सभी सामाजिक क्षेत्रों में संस्थानों और कार्यकरणों पर नियंत्रण; जनजातीय उप योजनाओं सहित ऐसी योजनाओं के लिए स्थानीय योजनाओं और संसाधनों पर नियंत्रण रखना।

ग्राम सभा - पेसा अधिनियम में एक महत्वपूर्ण पहलू

- पेसा अधिनियम के अंतर्गत **बस्तियों को गांव बनने और अपनी ग्राम सभाएं** बनाने की अनुमति है, जिससे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मजबूत होता है।
- प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की **परंपराओं और रीति-रिवाजों, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधनों और विवाद समाधान के प्रथागत तरीके की रक्षा और संरक्षण करने के लिए सक्षम होगी।**
- पंचायत द्वारा ग्राम स्तर पर कार्यान्वयन के लिए ऐसी योजनाएं, कार्यक्रम और परियोजनाएं शुरू किए जाने से पहले ग्राम सभा द्वारा **सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं, कार्यक्रम और परियोजनाएं मंजूरी** की जाएगी।
- गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत **लाभार्थी व्यक्तियों की पहचान या चयन** करने की जिम्मेदारी ।
- प्रत्येक पंचायत को ग्राम स्तर पर **योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए उस पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग का प्रमाण-पत्र ग्राम सभा** से प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

केंद्रीय अधिनियम से विचलन : राज्यों द्वारा कोई एकरुपता नहीं

राज्य	भूमि अधिग्रहण	लघु जल निकाय	खान और खनित
आंध्र प्रदेश	मंडल पंचायत	जी पी/ एम पी/ जैड पी	ग्राम पंचायत
छत्तीसगढ़	निर्दिष्ट नहीं	तालुका पंचायत/ जी पी	निर्दिष्ट नहीं
गुजरात	तालुका पंचायत	तालुका पंचायत	गाम पंचायत
हिमाचल प्रदेश	ग्राम सभा	निर्दिष्ट नहीं	ग्राम सभा
झारखंड	ग्राम सभा	निर्दिष्ट नहीं	निर्दिष्ट नहीं
मध्य प्रदेश	निर्दिष्ट नहीं	ग्राम सभा / जी पी	निर्दिष्ट नहीं
महाराष्ट्र	ग्राम सभा	ग्राम सभा	जी पी/ एम पी/ जैड पी
ओडिशा	जिला पंचायत	जिला परिषद	जिला परिषद
राजस्थान	ग्राम सभा / पी आर आई	निर्दिष्ट नहीं	ग्राम सभा / पी आर आई
तेलंगाना	निर्दिष्ट नहीं	निर्दिष्ट नहीं	निर्दिष्ट नहीं

पेसा के कार्यान्वयन में चुनौतियां

- *पेसा को पूर्णतया अपनाए जाने का अभाव*
- *पेसा के अंतर्गत प्रावधानों को पूर्णतया अपनाए जाने का अभाव*
- *जनजातीय समुदाय के बीच पेसा के बारे में जागरुकता का अभाव*
- *कार्यान्वयन पदाधिकारियों के बीच पेसा के बारे में जागरुकता का अभाव*
- *निचले स्तर पर ग्राम सभा और पंचायतों की सीमित स्वायत्तता*
- *संस्थागत व्यवस्थाओं और अनुकूल वातावरण का अभाव*

अनुसूचित क्षेत्रों में राज्यपालों की शक्तियां (पेसा के लिए संगत)

❖ इन राज्यों के राज्यपालों को किसी अनुसूचित क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विशेष रूप से निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विनियम बनाने की शक्ति है :-

(i) ऐसे क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि के हस्तांतरण को प्रतिबंधित या सीमित करना,

(ii) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भूमि के आवंटन को विनियमित करना,

(iii) ऐसे क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को धन उधार देने वाले व्यक्तियों द्वारा साहूकार के रुप में व्यवसाय करने को विनियमित करना ।

•

अनुसूचित क्षेत्रों मे राज्यपाल और पेसा

- ***राज्यों के राज्यपालों के सम्मेलन*** **की कार्यवाही में इस बात पर जोर दिया गया कि राज्यपाल राज्य सरकारों से पेसा अधिनियम का अनुपालन करने के लिए आवश्यक स्थानीय कानून बनाने और लोगों की भलाई के लिए सर्वाधिक अनुकूल मार्ग तैयार करने के बारे में सुविचारित चर्चा करने का आग्रह कर सकते हैं।**

- संविधान की पांचवीं अनुसूची (पैरा 3) में यह प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य के **राज्यपाल वार्षिक रुप से, या जब भी राष्ट्रपति द्वारा आवश्यक हो, राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट देंगे, ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में संघ सरकार को जानकारी रहे।**

- इस संबंध में **राज्यपालों को प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के विश्लेषण में पेसा के संदर्भ में वास्तविकता का अभाव था।**

- राज्यपालों से अनुरोध किया गया था कि वे **पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों वाले सभी पेसा राज्यों को पेसा के कार्यान्वयन के बारे में राज्यपाल की रिपोर्ट** में एक अध्याय शामिल करने के लिए **उपयुक्त दिशानिर्देश/अनुदेश जारी** करने पर विचार करें।

भावी राह

- **सभी पेसा राज्यों द्वारा पेसा नियम बनाना।**
- **पेसा राज्यों में पेसा अधिनियम के अनुसार राज्य के कानून बनाना।**
- **ग्राम सभाओं के कार्यकरण में जवाबदेही बढ़ाने के लिए संस्थागत संरचनाओं का निर्माण करके ग्राम सभा** को सुदृढ़ करना।
- **ग्राम सभा द्वारा उपयोग प्रमाण पत्र जारी करने और ग्राम कोष का रखरखाव करने के** अनिवार्य **प्रावधान को आगे के वित्तीय आवंटन और धन के संवितरण के साथ संबद्ध किया जाना चाहिए।**
- प्रत्येक **पेसा राज्य में एक समर्पित पेसा सेल** बनाए जाने की जरुरत है। इस राज्य सेल में ग्राम सभा की संस्थाओं को मजबूत करने के विशेष उद्देश्य के साथ एक **ग्राम सभा सुविधा केंद्र** होना चाहिए।

भावी राह

- **ग्राम सभा द्‌वारा** ग्राम में पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए **विभिन्न समितियों** का गठन किया जाना चाहिए।
- पेसा क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक मैन्युअल होना चाहिए।
- पेसा के समुचित कार्यान्वयन के लिए ग्राम सभाओं और उनके कार्यकर्ताओं का प्रभावी क्षमता निर्माण करना।
- पेसा **ग्राम सभा में अनुसूची क्षेत्रों में लघु वन उपज (एम.एफ.पी.)** पर स्वामित्व अधिकार लागू किया जाना चाहिए।
- पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और विकास पदाधिकारियों में आवश्यक संवेदनशीलता का विकास करना ताकि अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं का सुशासन केन्द्रों के रूप में सही तरीके से विकास हो सके।
- **जनजातीय लोगों को योजना, परियोजना निर्माण और कार्यक्रम कार्यान्वयन के बारे में जागरूक करना।**

राग्राविपंरासं NIRDPR

धन्यवाद